पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 09 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.07.2024

दिनांक 03/04.07.2024 को थाना मोहनलालगंज 02, गाजीपुर 01, आशियाना 01, आलमबाग 01, नगराम 03, दुबग्गा 01, अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में थाना निगोंहा 01, ठाकुरगंज 01, तालकटोरा 01, चौक 01, अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 09 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

भादवि

थाना हुसैनगंज- दिनांक 04.07.2024 को थाना हुसैनगंज द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती सपना पंजवानी निवासी क्ले स्क्वायर उदयगंज कबीर मार्ग लखनऊ ने थाना हुसैनगंज पर सूचना दिया कि वादिनी ने करीब 1 महीना पहले facebook पर stocks में निवेश करके profit कमाने की advertisement देखी और कौतूहलवश वादिनी ने भी उनके दो whats app group join किये। जिसमें वो stocks में invest करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। एक group का नाम HDFC securities था और दूसरे का नाम Eslorts securities वादिनी ने सत्यापन के लिए SEBI में Customer Care में कॉल करके, उन्होने जो Registration certificate no. दिया था, उसकी पूछताछ की तो sebi में वो नं0. सही बताये गये। वादिनी ने फिर भी कुछ Investment नहीं कर रही थी तो उन लोगों ने दो अलग- अलग लोगों से वादिनी को कॉल करवायी, कि ग्रुप सही है, हमलोग भी कर रहे हैं, आप भी Investment करिये और काफी profit होगा, और आप जब चाहें अपने पैसे वापस withdraw कर सकतीं हैं। उनके convince करने पर वादिनी ने दोनों ग्रुप में कुल 2,65,000/-रुपये डाले (1,50,000/-रुपये व 1,15,000/-रुपये), जिसमें 30,000/-रुपये withdraw करके भी देखे तो वो amount मेरे account में तुरंत आ गया। लेकिन 4-5 दिन में ही वो लोग और पैसे डालने बोल रहे थे, जिस पर वादिनी ने पैसा डालने को मना कर दिया जिससे उन लोगो ने वादिनी को ग्रुप से delete कर दिया और उसके बाद वादिनी उस मोबाइल एप से पैसे भी नहीं निकाल पायी। उन लोगों ने वादिनी को सब जगह ब्लॉक कर दिया। यह घटना दिनांक 24.05.2024 से दिनांक 30.05.2024 के बीच हुई है। **इस सूचना पर थाना हुसैनगंज पर मु0अ0सं0- 073/2024 धारा- 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना जानकीपुरम- दिनांक 04.07.2024 को थाना जानकीपुरम द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती मोनिका सिंह निवासी अभिषेक पुरम, निकट अटल चौराहा जानकीपुरम विस्तार लखनऊ ने थाना जानकीपुरम पर सूचना दिया कि वादिनी के मोबाइल नम्बर पर दिनांक 01.07.2024 को शाम 7.06 बजे मोबाइल नम्बर 7880764532 से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को चारवाग थाने का पुलिसकर्मी बताते हुए कहा कि आपके मोबाइल नंवर से पोर्न वेवसाइड खोली गई है। जो कि अपराध है। जिस पर वादिनी ने इस तरह की वेबसाइट खोलने से इंकार किया। जिसके बाद पुलिसकर्मी ने मुझे धमकाते हुए गिरफ्तार करने और पड़ोसियों को इस की जानकारी देते हुए बदनाम करने की धमकी दी। जिसके बाद उक्त कॉलर ने वादिनी से 3,500/- रुपये फाइन के रुप में जमा करने को कहा। जिसके बाद उसने मोबाइल नम्बर 9170684110 जो कमल कुमार थाना प्रभारी का नंबर है उस पर गूगल पे करने को कहा। डरी सहमी वादिनी ने पहले 1,000/-रुपये और बाद में 2,500/-रुपये गूगल पे कर दिया। जिसके बाद उक्त कॉलर पुलिसकर्मी ने गूगल पे का स्कीन शॉट मोबाइल नम्बर 7388865226 पर भेजने को कहा। जिस पर वादिनी द्वारा जब चेक किया तो मोबाइल नंबर पर आईपीएस की डीपी और रविन्द्र यादव नाम दिख रहा था। इसके बाद दूसरे कथित पुलिसकर्मी ने बात करते हुए वादिनी से कहा कि आपका माफीनामा बन रहा है। इसके लिए डी एस पी के साइन के लिए आपको 13,000//- रुपये और देना होगा। जिसके बाद वादिनी को स्वंय के साथ ठगी का अहसास हुआ। जिसके बाद वादिनी ने और रुपये देने से मना कर दिया। जिससे उक्त कॉलर ने वादिनी के साथ अभ्रदता से बात करना शुरु कर दिया। इस घटना के बाद वादिनी काफी डरी सहमी है। **इस सूचना पर थाना जानकीपुरम पर मु0अ0सं0- 199/2024 धारा- 66 डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**